आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

31.10.2023

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

R.M.A Case No. -26/2002-03

जनार्दन यादव **बनाम** सुकुमार यादव एवं अन्य।

आदेश

यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Rev.Misc Case No-07/2002-03 में दिनांक-31.10.2002 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील है।

अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Rev.Misc Case No-07/2002-03 में दिनांक-31.10.2002 को पारित आदेश के द्वारा मौजा-खैरा के दाग सं0-879A,807/A,1018A एवं 538/2180A के अंश के कुल रकवा-1.52 एकड़ जमीन का लगान 10/- रूपये प्रति एकड़ के दर से कुल 15/- रूपये सलाना एवं शेष लगान निर्धारित किया गया है।

अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उभयपक्ष अनुपस्थित। उभयपक्ष को अपना पक्ष रखने हेतु इस तिथि के पूर्व कई तिथियों में नोटिस निर्गत किया गया जिसका तामिला प्राप्त है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल किये गये अपील आवेदन का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित है कि वे मौजा-खैरा, थाना-बिन्दापाथर, अनुमंडल एवं जिला-जामताड़ा के स्थायी जमाबंदी रैयत है। मौजा-खैरा के दाग सं0-538/2180 गत सर्वे खतियान में किस्म-पुरातन पतित अभिलेखित है। उनके दादा उदय महतो द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय जामताड़ा के वाद Settlement Case No-231/1936-37 में दिनांक-26.11.1941 को पारित आदेश के द्वारा दाग सं0-538/2180 के अंश रकवा-44.5 डी0 जमीन का बंदोबस्ती प्राप्त है। उनके दादाजी द्वारा प्रश्नगत जमीन को धानी खेत में परिवर्तन कर फसल उगाया जा रहा है। उनके मृत्यु के पश्चात् वे उक्त जमीन पर कब्जा में आये। विभिषण महतो CLW Chittranjan, SD-Asansol, Dist-Burdwan के कर्मी थे, उनके द्वारा उक्त दाग सं0-538/2180 के अंश रकवा पर गलत तरीके से बंदोबस्ती किया कराया गया है। अपीलकर्त्ता का उक्त प्लॉट 538/2180 के सटा हुआ अपना जमाबंदी प्लॉट है।

अभिलेख में संलग्न अन्य कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के वाद Rev.Misc Case No-07/2002-03 में दिनांक-03.10.2002 को पारित आदेश के द्वारा मौजा-खैरा के दाग सं0-879,1018 एवं 538/2180 के अंश रकवा-1.52 एकड़ जमीन का लगान 10/- रूपये प्रति एकड़ सलाना के दर से कुल 15/- रूपये सलाना एवं सेस लगान निर्धारित किया गया। उक्त लगान निर्धारण अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा का न्यायालय के वाद Settlement Case No-179/1973-74 में दिनांक-06.09.1975 में पारित आदेश के द्वारा दाग सं0-879A,807A,1018A एवं 538/2180 का रकवा क्रमशः .01/4 डी0, 1.08 डी0, 0.42 डी0 एवं 0.44 डी0 जमीन का प्राप्त बंदोबस्ती पर आधारित है।

अपीलकर्त्ता का दादा उदय महतो द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय जामताड़ा के वाद Settlement Case No-231/1936-37 में दिनांक-26.11.1941 को पारित आदेश के द्वारा दाग सं0-538/2180 में अंश रकवा-$44_{1/2}$ डी0 प्राप्त हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय जामताड़ा के वाद Settlement Case No-231/1936-37 में दिनांक-26.11.1941 को पारित आदेश का सत्यापित प्रतिलिपि अभिलेख में संलग्न है जिसमें अंकित है "Dispute settled. Parties have accordingly filed a

petition for compromise the division of land will be made on its basis File" है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Rev.Misc Case No-07/2002-03 में दिनांक-31.10.2002 को पारित आदेश में लगान निर्धारण में त्रूटि है। Settlement Case No-231/1936-37 में दिनांक-26.11.1941 को पारित आदेश में "Dispute settled....." से अपीलकर्त्ता के प्रश्नगत रकवा का स्पष्ट पता नहीं चलता है। प्रश्नगत बंदोबस्त जमीन पर कौन पक्ष कितना रकवा पर दखल-कब्जा में है, स्पष्ट नहीं है। लगान निर्धारण के आदेश में शेष $42_{1/4}$ डी0 की जमीन पर कौन दखलकार है इसकी जानकारी नहीं है एवं उनको जमीन कैसे मिली इसका भी उल्लेख नहीं किया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा $44_{1/2}$ डी0 जमीन पर किस आधार पर दावा किया जा रहा है यह भी स्पष्ट नहीं है। अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा अपने स्तर से गहन समीक्षा कर वाद निस्तारण करें।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Rev.Misc Case No-07/2002-03 में दिनांक-31.10.2002 को पारित आदेश को खारिज करते हुए वाद पुनर्विचार हेतु वापस (Remand) किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
17.11.2023

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2023.11.29 09:18:01 +05:30
Location: 192.168.43.106